भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1173** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

नए समुद्री कानूनों का कार्यान्वयन

1173. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल :
श्री मितेश पटेल बकाभाई :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग **मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) नए अधिनियमों (बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 2025, समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 2025, तटीय नौवहन अधिनियम, 2025, व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025) के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण, विधि-निर्माण और संस्थागत तैयारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन नए समुद्री कानूनों के राज्यों, बंदरगाह प्राधिकरणों और पोत हितधारकों द्वारा समान रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हितधारक परामर्श, आदर्श नियम या मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिनियमों के कार्यान्वयन की प्रगति और प्रारंभिक परिणामों का आकलन करने के लिए स्थापित निगरानी या समीक्षा तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): नए अधिनियमित विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के संबंध में नियम बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए। एक व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है ताकि मसौदा तैयार करने के लिए चरण पर ही उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

नए विधानों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण, नियम बनाने और संस्थागत तैयारी के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(i) नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) से नोडल अधिकारियों और बनाए जाने वाले नियमों की विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाले हितधारकों से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बारह (12) तकनीकी समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रही है।

(ii) तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन मसौदा तैयार करने के लिए दो (02) तकनीकी समितियों का गठन किया गया है।

(iii) इन नियमों का मसौदा तैयार करने में सहायता के लिए कानूनी सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। ताकि नियम का ढांचा सरल कानूनी भाषा में तैयार हो।

(iv) नए विधानों की कानूनी प्रक्रिया और कार्यान्वयन समय पर सुनिश्चित करने के लिए नौवहन महानिदेशालय में एक विधिक वर्टिकल का सृजन किया गया है।

(v) भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के संबंध में नियम-तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ चार (04) परामर्श बैठकें आयोजित की गई थीं।

चूंकि, वहन-पत्र अधिनियम, 2025 और समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025 के तहत कोई नियम बनाया जाना अपेक्षित नहीं था, ये अधिनियम10 सितंबर, 2025 से लागू हो गए हैं।

(ख) और (ग): वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन नियम बनाने के संबंध में व्यापक हितधारक परामर्श हेतु, उद्योग विशेषज्ञों और नौवहन महानिदेशालय के नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए चौदह (14) तकनीकी समितियों का गठन किया गया था। नौवहन महानिदेशालय द्वारा नियमों का मसौदा तैयार करते समय विभिन्न हितधारक समूहों से परामर्श किया गया। प्रमुख हितधारकों में पोत स्वामी, प्रचालक, नाविक संघ, प्रशिक्षण और शैक्षिक निकाय, वर्गीकरण सोसायटियां, पत्तन और राज्य समुद्री बोर्ड, पोत प्रबंधन और अपतटीय सेवाएँ, तटीय, अंतर्देशीय और नौकायन जलयान क्षेत्र संघ, कानूनी विशेषज्ञ और संबंधित सरकारी विभाग शामिल हैं। ।

वाणिज्यिक पोत परिवहन नियमों का मसौदा नौवहन महानिदेशालय की वेबसाइट पर 12.12.2025 और साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट पर 24.12.2025, 26.12.2025 और जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 22.01.2026 को अपलोड कर दिया गया था।

तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 39(1) के अनुपालन में, मसौदा तटीय पोत परिवहन (विदेशी जलयानों को अनुज्ञप्ति) नियम, 2026 और मसौदा तटीय पोत परिवहन (रणनीति एवं राष्ट्रीय डाटाबेस) नियम, 2026 को सूचना और हितधारकों से टिप्पणियों/सुझावों के लिए 19.12.2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इन नियमों को जनता और हितधारकों से टिप्पणियों के लिए दिनांक 26.12.2025 को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया था।

भारतीय पत्तन नियमों का मसौदा, जैसा कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 की धारा 76 और 78 के तहत अधिदेशित है, दिनांक 23.01.2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के तहत नियम बनाने के कार्य के लिए मंत्रालय ने महापत्तन प्राधिकरण, राज्य समुद्री बोर्डों और उद्योग निकायों सहित सभी संबंधित हितधारकों को शामिल किया।

हितधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों/शिकायतों के साथ-साथ इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमों/कानूनों/नियमों की समीक्षा एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है।
